प्रपत्र VI 'क'

झारखण्ड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)
या
समाहर्त्ता या समुचित सरकार
प्रारंभिक अधिसूचना
(अधिनियम–30/2013 की धारा–11 (1) के अधीन)

संख्या– 570/भू0अ0, मेदिनीनगर, दिनांक– 13.12.2016

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–केशवाही उर्फ छकौड़ीया, थाना–मोहम्मदगंज, थाना सं0–512, अंचल हुसैनाबाद जिला–पलामू में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना मंगरधारा मध्यम सिंचाई योजना निर्माण हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2 (1) (ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम– केशवाही उर्फ छकौड़ीया, थाना–मोहम्मदगंज, थाना सं0–512, अंचल हुसैनाबाद जिला–पलामू में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 4.00 एकड़ यानि 1.619 हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है

क्रम सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1.	86	385	—	—	4.00	मुनेश्वर बढ़ही वैगरह हलखोरी बढ़ही वैगरह ग्राम–सड़ेया	355	सिवाना पोखराहा	365, 385	358, 385

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू अर्जन पदाधिकारी पलामू के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यो के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यो के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी पलामू और संबंधित राजस्व कर्मचारी अंचल हुसैनाबाद को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी पलामू के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

06.12.16 — 06/12/16 — 09/12/16

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,
पलामू।

अपर समाहर्त्ता,
पलामू।

उपायुक्त, पलामू।